न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 141 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. दीपाराम पुत्र हरीराम 2. धुड़ाराम पुत्र हरीराम जाति भील निवासी गूंगरोट तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. छगनाराम पुत्र गंगाराम 2. मंगाराम पुत्र गंगाराम 3. हड़मानराम पुत्र हरीराम जाति भील निवासी गूंगरोट तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 41 / 2021 बअनवान छगनाराम वगैरा बनाम दीपाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—17.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 492, 514, 515, 519, 522 रकबा क्रमशः 1.0764, 2.2177, 9.0892, 2.3148, 1.0198 कुल रकबा 15.7179 हैक्टयर मौजा गूंगरोट पटवार क्षेत्र गोलिया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर में आये हुऐ है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खातेदारी का है तथा मौके पर मौखिक बंटवाडा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग अलग हिस्से खुल्ले हुऐ है, जिस कारण पक्षकारन के मध्य कब्जे काश्त को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लेकर विवाद रहता है इयलिए वादी अपने हिस्से की मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिये वादी अपने हिस्से की मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहते है जिस हेतु यह वाद पेश किया गया। अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.09.2021 को पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिवाना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह वंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 15 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 1 व 2 हल्का पटवारी के साथ मौके

पर आये तथा मौके पर अपीलांट के हिस्से में हस्तक्षेप कर बेंदखल करने का प्रयास किया जाने लगा तथा हल्का पटवारी ने बताया कि इस भूमि का वंटवाड़ा हो गया है जिस कारण अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट ने आलोच्य निर्णय की नकल को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 09.11.2022 को प्राप्त होने पर अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंव सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की वजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अपीलांटगण का धारा 05 का प्रार्थना–पत्र अपीलांटस द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.09.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सवूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2021 बअनवान छगनाराम वगैरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बनाम दीपाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा बिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर